UPMZ010064662026

न्यायालय सेशन जज, मुजफ्फरनगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2514 सन् 2026

01. राजबीर पुत्र कदम सिंह,
02. अवनीश कुमार पुत्र कदम सिंह,
03. आत्माराम पुत्र तेजपाल,
04. रवित पुत्र मंगता सिंह,

समस्त निवासीगण ग्राम मजलिसपुर तौफीर, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर।

.....प्रार्थीगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

अंतर्गत धारा– 115(2), 117(2), 351(3), 352 बी.एन.एस.
थाना–भोपा, जिला मुजफ्फरनगर।
मु.अ.सं.–79/2025

10.06.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से थाना भोपा के अपराध संख्या–79 सन 2025, धारा – 115(2), 117(2), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण ने वर्तमान प्रार्थनापत्र से पूर्व इस अपराध संख्या में इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या माननीय उच्चतम न्यायालय या भारत के किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, न ही विचाराधीन है और न ही खण्डित हुआ है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है, वे निर्दोष है। घटना दिनांक 13.03.2025 होलिका दहन के समय रात्रि 9 बजे की प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शायी गयी है। होलिका दहन के समय गांव के सैकड़ों लोग घटना पर मौजूद थे, जनता का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं दर्शाया है। मात्र घर के गवाह दर्शाये हैं। घटना के समय प्रार्थीगण घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त मुकदमा चुनाव रंजिशन के कारण झूठे तथ्यों पर दर्ज कराया गया है। इस घटना के संबंध में क्रास एफ.आई.आर. नं. 121 सन् 2025, अन्तर्गत धारा 126(2), 125, 351(3), 352, 115(2), 191(3), 191(2), 191(1), थाना भोपा, वाद संख्या 2101 सन् 2026, सरकार

बनाम हरिओम आदि रिपोर्टकर्तागण व उनके परिजनों के खिलाफ दर्ज करायी गयी है जिसमें मुल्जिमान की जमानत हो चुकी है। प्रार्थीगण की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रार्थीगण को थाना भोपा के द्वारा 35ए बी.एन.एस.एस. के नोटिस पर छोड़ा गया था जिसका प्रार्थीगण ने कोई उल्लंघन नहीं किया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध संज्ञेय व अजमानतीय आरोप लगाये गये हैं। प्रार्थीगण बाल बच्चेदार मजदूर पेशा व्यक्ति है। विवेचक द्वारा आरोप पत्र अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर उनके विरूद्ध नोटिस जारी किये गये हैं। प्रार्थीगण को अपमानित करने तथा झूठे मुकदमों में फंसाने हेतु व प्रार्थीगणों की प्रतिष्ठा को समाज में धूमिल करने के लिये गलत रिपोर्ट करायी गयी है। प्रार्थीगण न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगे। प्रार्थीगण अग्रिम जमानत होने के पश्चात किसी साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे और जमानत आदेश की प्रत्येक शर्त का पालन करेंगे। वह अमन पसंद व्यक्ति हैं। प्रार्थीगण सम्मानित परिवार के सदस्य है, उनकी चल व अचल सम्पत्ति मुजफ्फरनगर में है, उनके फरार होने की संभावना नहीं है। प्रार्थीगण को अंदेशा है कि प्रार्थीगण को गम्भीर अपराध में लिप्त मानते हुए पुलिस थाना भोपा गिरफ्तार कर सकती है। प्रार्थीगण को क्षति पहुंचाने व अपमानित करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण के विरूद्ध गम्भीर अपराध लगाया गया है। उनका कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है न ही वे पूर्व में दोषसिद्ध हुए हैं। प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त कारणों व आधार पर अग्रिम जमानत पर रिहा करें।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

उभयपक्षों को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा तलविदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,
3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।
4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा हरिओम द्वारा घटना दिनांकित 13.03.2025 के संबंध में दिनांक 14.03.2025 को समय 01.52 बजे थाना भोपा पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 13.03.2025 मेरे चाचाजी सतीश व चमन पुत्रगण जबर सिंह, निवासीगण ग्राम मजलिसपुर तौफीर, थाना भोपा, मुजफ्फरनगर रात्रि करीब 09 बजे खाना खाकर अपने घर से घेर में जा रहे थे, रास्ते में हमारा पड़ौसी राजबीर पुत्र कदम सिंह शराब पीकर गली में खड़ा था, जैसे ही मेरे चाचा उसके पास पहुंचे तो राजबीर उपरोक्त उनके साथ कच्ची शराब पीने की जिद करने लगा, मना करने पर गाली गलौज कर मारपीट व हाथापाई करने लगा, फिर उसके और भाई अवनीश पुत्र कदम सिंह व आत्माराम पुत्र तेजपाल व रवित पुत्र मंगता, निवासीगण ग्राम मजलिसपुर तौफीर, थाना भोपा, मु.नगर ने भी आकर गाली गलौच करते हुए मेरे चाचा के साथ मारपिटाई चालू कर दी जिससे मेरे दोनों चाचा के शरीर में खुली व गुम चोटें आयी हैं। शोर सुनकर आस पास के काफी लोग मौके पर आ गये तथा यह घटना देखी। भीड़ देखकर उपरोक्त चारों लोग मेरे चाचा को आईन्दा मौका मिलने पर जान से खत्म कर देने की धमकी देकर वहां से भाग गये।

अतः कथानक अनुसार यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के चाचा सतीश एवं चमन के साथ कच्ची शराब पीने की जिद करने एवं मना करने पर गाली गलौज व मारपी कर खुली व गुम चोटें पहुंचायी गयी। तलबशुदा केस डायरी पर चोटहिल चमन की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध है जिसके अनुसार X-Ray chest ap fracture and right 10th rib seen, so injury no. 01 is grievous in nature अंकित किया गया। तलविदा पत्रावली के अवलोकन से ही स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को दिनाक 23.03.2025 को धारा 35(3)बी.एन.एस.एस. का नोटिस दिया गया था। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में असहयोग किये जाने का कोई कथन नहीं है। मामले न्यायालय में विवेचनोपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियोजन की ओर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण राजबीर, अवनीश कुमार पुत्रगण कदम सिंह, आत्माराम पुत्र तेजपाल एवं रवित पुत्र मंगता सिंह को अंतर्गत अपराध संख्या–79 सन 2025 धारा –115(2), 117(2), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता थाना भोपा, जनपद मुजफफरनगर के मामले में उनके द्वारा अंकन 50,000/–, 50,000/–रुपये (पचास–पचास हजार रूपये) के दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती हैः–

1. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचक/न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होगी तथा विचारण में सहयोग करेगी।
2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।
4. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगी।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगी।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगी।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेगी, धमकी या वचन नहीं देगी या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगी।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करेगा अभियुक्त विचारण के पूर्ण होने के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या

याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी।"

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेगा कि, वे विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि संबंधित न्यायालय अभियुक्ता द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

प्रभारी– सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।